13

संविधान, शासन व्यवस्था और सामाजिक सरोकार

YP123V

पिछले अध्याय में हमने भारतीय संविधान के निर्माण की प्रक्रिया और संविधान निर्माण के ऐतिहासिक संदर्भ के बारे में पढ़ा साथ ही संविधान सभा में हुए वाद–विवाद और भारतीय संविधान की उद्देशिका में दिए गए मूल्य व आदर्शों को समझने की कोशिश की। इस अध्याय में हम संविधान के अंतर्गत राजनैतिक संस्थाओं की संरचना, संविधान से होने वाले सामाजिक बदलाव के अवसर तथा संविधान के विकसित होते हुए स्वरूप का अध्ययन करेंगे।

13.1 संविधान में राजनैतिक संस्थाओं की संरचना

शक्ति का विकेन्द्रीकरण : जब सत्ता का केन्द्रीकरण होता है तो वह आम लोगों की पहुँच से दूर हो जाता है और उनकी ज़रूरतों व आकांक्षाओं को प्राथमिकता नहीं मिल पाती है। वास्तव में लोकतंत्र को मज़बूत करने के लिए ज़रूरी है कि सत्ता का विकेन्द्रीकरण हो और मोहल्ला, ग्राम/शहर, जनपद, ज़िला और राज्य स्तर पर लोगों द्वारा चुने गए ढाँचे और उनके पास निर्णय लेने के अधिकार हों। गाँधीजी के स्वराज की कल्पना में अधिकतम अधिकार ग्राम पंचायतों को दिया जाना था।

YP332Y

स्वतंत्र भारत का संविधान बनाते समय यह विवाद का मुद्दा बना रहा कि क्या भारत में प्रांतों के पास सारी प्रमुख शक्तियाँ हों और केन्द्र के पास केवल रक्षा, विदेश नीति जैसे विषय हों? यह निर्णय लिया गया कि देश की एकता को सुदृढ़ करने के लिए तथा उसमें सामाजिक बदलाव लाने के लिए भारत में एक शक्तिशाली केन्द्रीय शासन की ज़रूरत है। साथ–ही–साथ यह भी तय किया गया कि प्रांतों के स्तर पर भी कई विषयों पर निर्णय लेने के अधिकार हों। दरअसल भारत को प्रांतों का समावेश या संघ माना गया। अतः देश में दो स्तर पर सत्ता का वितरण हुआ, संघीय या केन्द्र स्तर पर तथा प्रांतीय स्तर पर। दोनों स्तर पर चुने गए प्रतिनिधियों को निर्णय का अधिकार दिया गया। 1992 में 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों के तीसरे स्तर तक सत्ता का विकेन्द्रीकरण किया गया।

अगर हर राजनैतिक निर्णय केन्द्र सरकार ही करे तो आम लोगों को किस तरह की परेशानियाँ होंगी?

यदि सारे राजनैतिक निर्णय पंचायत स्तर पर हो तो उसका क्या प्रभाव होगा – कक्षा में विचार करें।

शक्ति विभाजन : राज्य या शासन के पास जो शक्तियाँ हैं वे तीन प्रकार की होती हैं : कानून बनाने, उसे लागू करने तथा उसके अनुसार न्याय करने की। किन्तु ये तीनों शक्तियाँ एक ही संस्था या व्यक्ति में केन्द्रित हो जाएँ तो वह निरंकुश शासक हो सकता है। शक्ति विभाजन का अर्थ है इन शक्तियों को अलग करना और स्वतंत्र संस्थानों को सौंपनाए जैसे कि आपने पिछली कक्षा में पढ़ा होगा, लोकतांत्रिक क्रांतियों

का एक मुख्य उद्देश्य शक्ति विभाजन था। इस प्रकार आधुनिक सरकार के तीन अंग हैं : **विधायिका–** जो कानून व नीतियाँ बनाती है, **कार्यपालिका–** जो उन्हें क्रियान्वित करती है तथा **न्यायपालिका–** जो उनके अनुसार न्याय करती है।

शक्ति पृथक्करण (शक्ति विभाजन) सिद्धान्त के अनुसार कार्यपालिका, विधायिका तथा न्यायपालिका में से प्रत्येक अपने कार्यक्षेत्र में स्वतंत्र हैं तथा उसे किसी अन्य पर नियंत्रण की शक्ति प्राप्त नहीं होती लेकिन वास्तव में यह संभव नहीं होता क्योंकि तीनों के काम एक–दूसरे पर निर्भर हैं और उन्हें मिलकर चलना होता है। भारत में सीमित शक्ति पृथक्करण सिद्धान्त को अपनाया गया है। यहाँ संसदीय लोकतंत्र है, जहाँ न्यायपालिका की स्वतंत्रता तो पूर्ण है पर विधायिका और कार्यपालिका एक–दूसरे पर निर्भर हैं। इस प्रणाली में कार्यपालिका (मंत्री परिषद्) विधायिका (संसद) का ही अंग होती है। मंत्री परिषद् के सदस्य संसद के भी सदस्य होते हैं और उसके प्रति जवाबदेह हैं। दूसरी ओर कार्यपालिका जिसका अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है, संसद के सत्रों को बुलाती है और अन्य तरीकों से भी विधायिका के कार्यक्षेत्र में हस्तक्षेप कर सकती है यानी कार्यपालिका और विधायिका दोनों एक–दूसरे के साथ गुँथे हुए हैं।

अब हम पूर्व की कक्षाओं में पढ़े केन्द्र सरकार और संसद की मुख्य बातों को याद करें–

हमारी संसद के दो सदनों के नाम क्या हैं?

इनमें से किस सदन के सदस्यों को भारत के सभी वयस्क व्यक्ति वोट देकर चुनते हैं?

संसद में कानून किस प्रकार बनाए जाते हैं?

YP7H6F

13.1.1 संघीय विधायिका (संसद)

चित्र 3.1 : संसद भवन

हमारी संघीय विधायिका को संसद नाम दिया गया है जो राष्ट्रपति और दो सदनों (लोकसभा और राज्य–सभा) से मिलकर बनती है। भारतीय संविधान की विशेषता यह है कि कार्यपालिका यानी मंत्रिमण्डल संसद का ही हिस्सा है और संसद के प्रति जवाबदेह (उत्तरदायी) है। संसद देश की राजनैतिक व्यवस्था की नींव है जिसमें जनता की संप्रभुता का समावेश एवं सार है। संसद राष्ट्र की आवाज़ है।

संसद में समाज के सभी वर्गों और देश के सभी क्षेत्रों का समुचित प्रतिनिधित्व होता है। इस व्यवस्था में अनुसूचित जाति और जनजाति के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है लेकिन यह पाया गया है कि संसद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व अपेक्षा से बहुत कम है। इस कारण कई

चित्र 13.2 : संसद में चर्चा

वर्षों से एक संविधान संशोधन विचाराधीन है जिसके अनुसार संसद में महिलाओं को कम–से–कम 33 प्रतिशत आरक्षण मिले।

सांसद सीधे या अप्रत्यक्ष तौर पर जनता द्वारा चुने जाते हैं और जनप्रतिनिधि जनता से संबंधित समस्याओं और शिकायतों को संसद में व्यक्त करते हैं। संसद में नीतिगत मुद्दों तथा कानून से संबंधित प्रस्तावों और मंत्रिमण्डल के प्रस्तावों को विचार विमर्श करके पारित किया जाता है। कार्यपालिका (मंत्रिमण्डल) के कार्यकलापों पर बहस होती है और उसकी जवाबदेही को सुनिश्चित किया जाता है। इस प्रकार सरकार की निरंकुशता पर नियंत्रण रखने में संसद महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

टीवी पर संसद की गतिविधियों को देखें और उन पर कक्षा में चर्चा करें।

क्या कारण है कि पर्याप्त संख्या में महिलाएँ चुनाव लड़कर लोकसभा में नहीं पहुँच पाती हैं?

लोकसभा और राज्यसभा

भारत में दो सदनीय विधायिका की व्यवस्था की गई है ये सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा के सदस्य पूरे देश के लोगों द्वारा सीधे चुनकर आते हैं और राज्यसभा के सदस्य मुख्य रूप से विभिन्न प्रांतों की विधायिका द्वारा चुने जाते हैं। दो सदनों की क्या ज़रूरत है? केवल लोकसभा होती तो क्या होता? जैसे हमने ऊपर पढ़ा, भारत एक संघीय देश है जिसमें सत्ता केन्द्र और प्रान्त दोनों के बीच बँटा है। संसद देश के कानून बनाने की सर्वोच्च संस्था है, अतः उसमें प्रांतीय विधायिकाओं की सहभागिता आवश्यक है। इस लिए राज्यसभा की व्यवस्था है जिसे प्रान्तों की विधायिकाएँ सदस्य चुनते हैं।

किसी भी देश में विधायिका के दो सदन होने के कई लाभ हैं। पहला है संसद में विशेषज्ञों की उपस्थिति : आमतौर पर विषय विशेषज्ञों व विभिन्न विधाओं के पारंगतों (जैसे– कलाकार, वैज्ञानिक, लेखक, कानूनी विशेषज्ञ आदि) को लोकसभा चुनाव जीतकर संसद में पहुँचना संभव नहीं होता। ऐसे लोगों को विधायिकाओं के सदस्य चुनकर राज्यसभा में भेज सकते हैं। इस तरह संसद को उनके अनुभव और विचारों का फायदा मिल सकता है। दूसरा, दो बार कानूनों पर विचार विमर्श जैसे कि आपने कानून बनाने की प्रक्रिया के बारे में याद किया होगा, हमारा हर कानून दोनों सदनों में विचार विमर्श के बाद पारित होता है।

अतः हर कानून पर दो बार चर्चा होती है। अतः जल्दबाज़ी में या त्रुटिपूर्ण कानून बनाने से बचा जा सकता है।

क्या दो सदन होने से कोई नुकसान या समस्याएँ भी हो सकती हैं? अपने विचार रखें।

भारत के अधिकांश प्रांतों में एक ही सदन है। क्या प्रांतों में दो सदन ज़रूरी नहीं हैं? यदि हाँ, तो क्यों?

राज्यसभा के काम पर समाचार पत्रों में जो खबरें छपी हैं उन्हें इकट्ठा कर चर्चा करें।

आगे हम संसद के गठन की मुख्य बातों का तालिका के माध्यम से अध्ययन करेंगे।

संघीय शासन– भारत राज्यों का एक संघ है और संविधान द्वारा विधायी शक्ति को दो स्तरों – संघ और राज्य में बाँट दिया गया है। ये केन्द्र सरकार और राज्य सरकारें अपनी–अपनी सीमाओं में रहते हुए स्वतंत्र रूप से कार्य करती हैं। यहाँ सारी सत्ता न केन्द्र के पास है, न ही राज्य पूरी तरह स्वतंत्र है।

प्रत्यक्ष निर्वाचन– जनता स्वयं मतदान करके प्रतिनिधि चुनती है। जैसे– लोकसभा के सदस्य आदि।

अप्रत्यक्ष निर्वाचन– जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा अन्य प्रतिनिधियों का चुनाव, जैसे– राष्ट्रपति का चुनाव हमारे द्वारा चुने हुए सांसदों और विधायकों द्वारा किया जाता है।

तालिका 3.1 संसद का गठन

	राज्यसभा	लोकसभा
सदस्य संख्या	अधिकतम–250 प्रांत + संघशासित प्रदेशों की विधायिका द्वारा निर्वाचित–238 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत–12	अधिकतम–552 सीधे चुनाव से–550 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत–2
उम्मीदवार की आयु	कम – से – कम 30 वर्ष	कम – से – कम 25 वर्ष
अधिवेशन संख्या – साल में कुल सत्र	तीन सत्र या अधिवेशन– शीतकालीन, मानसून और बजट। बजट अधिवेशन दो भागों में होता है।	तीन सत्र या अधिवेशन– शीतकालीन, मानसून और बजट।
सभापति	भारत के उपराष्ट्रपति (पदेन सभापति)	सदस्यों द्वारा चयनित अध्यक्ष – स्पीकर
गणपूर्ति (सदन में वैध कार्यवाही के लिए न्यूनतम उपस्थिति)	कुल सदस्यों का 1/10 हिस्सा	कुल सदस्यों का 1/10 हिस्सा

राष्ट्रपति : राष्ट्रपति ही दोनों सदनों के अधिवेशनों को बुलाता है तथा लोकसभा को विशिष्ट परिस्थितियों में भंग कर सकता है, लेकिन सामान्यतया राष्ट्रपति ये निर्णय प्रधानमंत्री की सलाह पर ही लेता है।

पीछे दी गई तालिका के आधार पर इन प्रश्नों के उत्तर दें :

किस सभा के सदस्यों के चुनाव के लिए व्यापक प्रचारप्रसार और हर मोहल्ले में मतदान होता है?

लोकसभा और राज्यसभा में सदस्य बनने के लिए कम–से–कम कितनी उम्र होनी चाहिये? दोनों सदनों के बीच यह अन्तर क्यों रखा गया होगा?

किस सदन में सदस्यों की संख्या अधिक है? यह अन्तर किस कारण रखा गया होगा?

संसद के कार्य एवं शक्तियाँ

YP9X5I

1. विधायी कार्य :– संसद पूरे देश या देश के किसी भाग के लिए कानून बनाती है लेकिन वास्तव में कानून बनाने में अहम भूमिका मंत्रिपरिषद् और नौकरशाहों (कार्यपालिका) की होती है। कानून बनाने वाली सर्वोच्च संस्था होने के बावजूद संसद प्रायः कानूनों को मात्र स्वीकृति देने का काम करती है। कोई भी महत्वपूर्ण विधेयक (प्रस्तावित कानून) बिना मंत्रिमंडल की स्वीकृति के संसद में पेश नहीं किया जाता। संसद में अन्य निजी सदस्य भी कोई विधेयक प्रस्तुत कर सकते हैं पर सरकार के समर्थन के बिना ऐसे विधेयकों का पास होना संभव नहीं है।

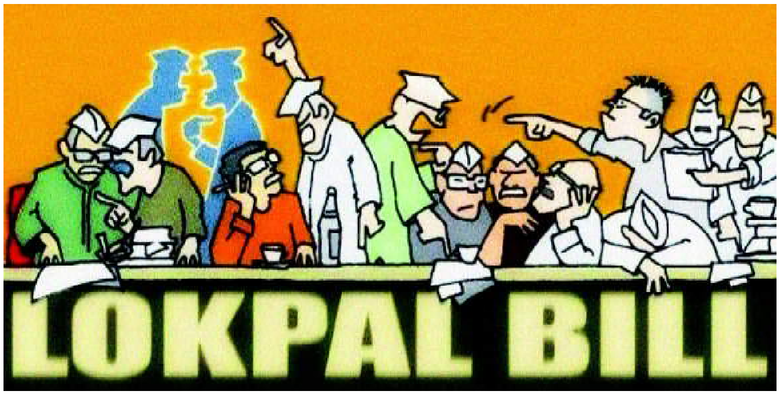

चित्र 13.3 : लोकपाल विधेयक पर गहन चर्चा

विधेयक के प्रस्तुत किए जाने के बाद संसद सदस्यों की उपसमितियों में उस पर गहन विश्लेषण और विचार होता है। विधेयकों पर विचार–विमर्श मुख्यतः संसदीय समितियों में होता है। समिति की सिफारिशों को सदन को भेज दिया जाता है। इन समितियों में सभी संसदीय दलों को प्रतिनिधित्व प्राप्त होता है। इसी कारण इन समितियों को 'लघु विधायिका' भी कहते हैं।

इसके बाद विधेयक दोनों सदनों में वाद–विवाद के बाद पारित होकर स्वीकृति के लिए राष्ट्रपति के पास जाता है। अगर मंत्रिपरिषद के पास संसद में बहुमत है तो वह कानून पारित होना प्रायः निश्चित होता है।

कानून बनाने की प्रक्रिया में संसद कार्यपालिका पर किस प्रकार निर्भर है?

इस बात का प्रभाव कानून पर सकारात्मक होगा या नकारात्मक?

2. कार्यपालिका पर नियंत्रण तथा उसका उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना :– सरकार यानी मंत्रिमण्डल संसद के प्रति उत्तरदायी है और प्रायः सभी मंत्री संसद सदस्य भी होते हैं। संसद सदस्य किसी भी मंत्री से उनके मंत्रालय से संबंधित सवाल कर सकते हैं और मंत्रियों का दायित्व है कि वे उसका उचित उत्तर दें। गलत उत्तर देने पर मंत्री को अपने पद से हटना पड़ सकता है। सांसदों और विधायकों को जनप्रतिनिधियों के रूप में प्रभावी और निर्भीक रूप से काम करने की शक्ति और स्वतंत्रता है। उदाहरण के लिए सदन में कुछ भी कहने के बावजूद किसी सदस्य के विरुद्ध कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की जा सकती। इसे संसदीय विशेषाधिकार कहते हैं। संसद में प्रश्न और टिप्पणी नीति–निर्माण, कानून या नीति को लागू करते समय तथा लागू होने के बाद वाली अवस्था, यानी किसी भी स्तर पर किया जा सकता है।

अगर सरकार के जवाब से सदन संतुष्ट न हो तो सदन सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर सरकार को हटा सकती है।

3. वित्तीय कार्य :– प्रत्येक सरकार कर वसूली के द्वारा अपने खर्च के लिए संसाधन जुटाती है लेकिन लोकतंत्र में संसद कर लगाने तथा धन के उपयोग पर नियंत्रण रखती है। हर साल मंत्रिमण्डल की ओर से वित्तमंत्री लोकसभा में बजट प्रस्तुत करता है जिसमें सालभर सरकार जो खर्च करना चाहती है उसका ब्यौरा होता है और इस खर्च के लिए लगाए जा रहे करों का भी प्रस्ताव होता है। लोकसभा इसे केवल उस साल के लिए स्वीकृत करती है और उसकी स्वीकृति के बाद ही सरकार लोगों से कर वसूल सकती है या राजकीय धन का व्यय कर सकती है। संसद की वित्तीय शक्तियाँ उसे सरकार के कार्यों के लिए धन उपलब्ध कराने या रोकने का अधिकार देती है। सरकार को अपने द्वारा खर्च किए गए धन का विवरण भी संसद को देना पड़ता है।

4. बहस का मंच : संसद देश में वाद–विवाद का सर्वोच्च मंच है। विचार–विमर्श करने की उसकी शक्ति पर कोई अंकुश नहीं है। सदस्यों को किसी भी विषय पर निर्भीकता से बोलने की स्वतंत्रता है। इससे संसद राष्ट्र के समक्ष आने वाले किसी एक या हर मुद्दे का विश्लेषण कर पाती है। संसदीय चर्चा गोपनीय नहीं

आरेख 13.1 संसद की कार्यशक्तियाँ

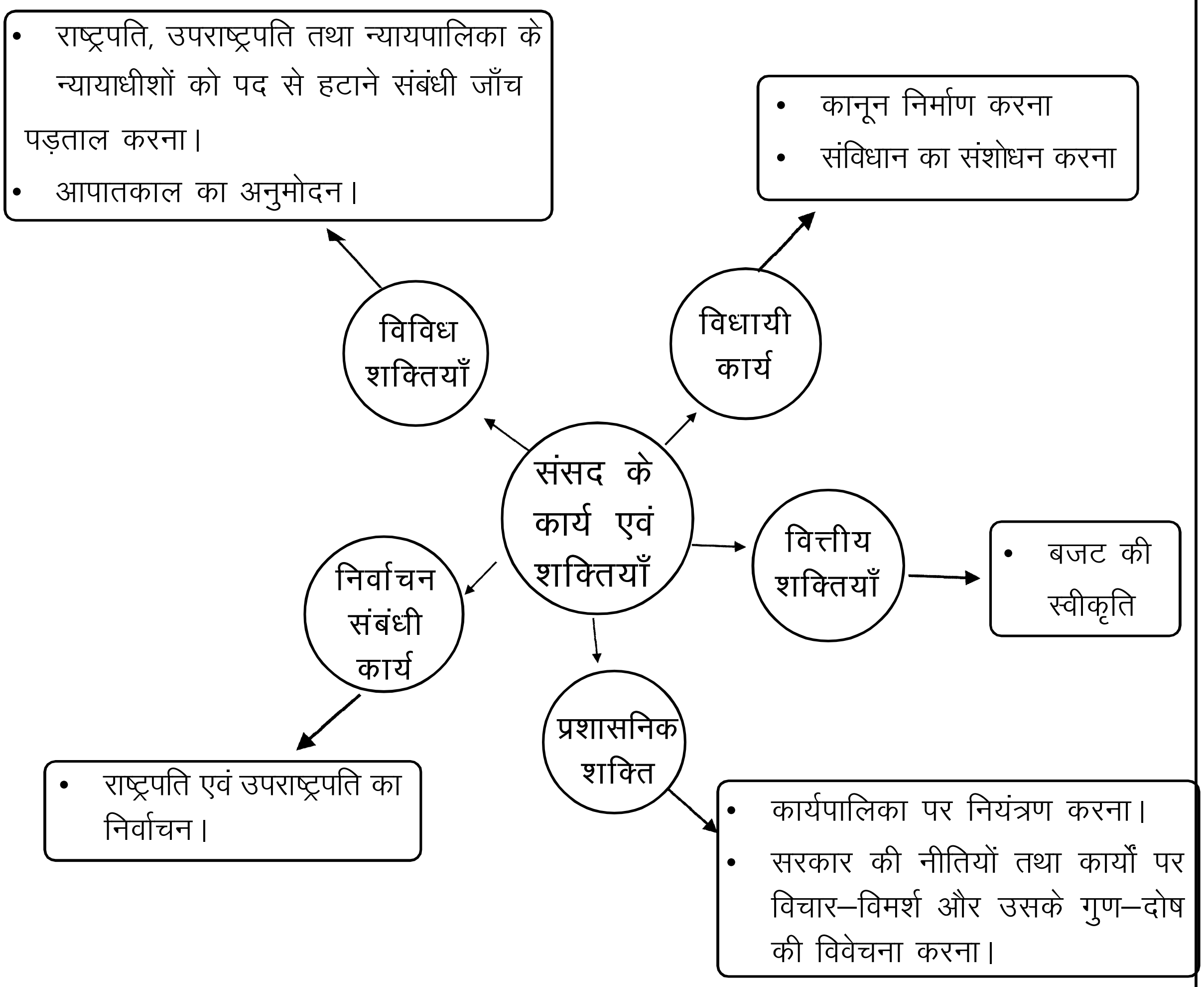

होती है और टीवी और पत्रिकाओं के माध्यम से पूरे देश तक पहुँचती है जिससे पूरे देश के लोग इन बातों को जान सकते हैं।

5. संविधान संशोधन संबंधी कार्य :– संसद के पास संविधान में संशोधन करने की शक्ति है। संसद के दोनों सदनों की संवैधानिक शक्तियाँ एक समान हैं। प्रत्येक संवैधानिक संशोधन का संसद के दोनों सदनों के द्वारा एक विशेष बहुमत से पारित होना ज़रूरी है।

6. निर्वाचन संबंधी कार्य :– संसद चुनाव संबंधी भी कुछ कार्य करती है। यह भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेती है और उपराष्ट्रपति का चुनाव करती है।

7. न्यायिक कार्य :– राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाने के प्रस्तावों पर विचार करने का कार्य संसद के न्यायिक कार्य के अंतर्गत आता है।

लोकतंत्र की रक्षा के लिए इनमें से कौन–सा कार्य आपको सबसे महत्वपूर्ण लगा?

यदि संसद बजट न पारित करे तो क्या होगा?

लोकसभा और राज्यसभा के वर्तमान अध्यक्ष व उपाध्यक्ष कौन हैं?

छत्तीसगढ़ में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? शिक्षक की सहायता से क्षेत्रवार सूची बनाइए।

छत्तीसगढ़ में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? शिक्षक की सहायता से पता करें।

परियोजना कार्य :– संसद के सत्र के दौरान समाचार पत्रों को इकट्ठा करें और उसके कार्य से संबंधित खबरों को छाँटें। ये संसद के उपर्युक्त कार्यों में से कौन–कौन से कार्यों से संबंधित हैं कक्षा में चर्चा करें।

13.1.2 संघीय कार्यपालिका (राष्ट्रपति एवं मंत्रिपरिषद्)

सरकार का वह अंग जो विधायिका द्वारा स्वीकृत नीतियों और कानूनों को लागू करता है और प्रशासन का काम करता है, कार्यपालिका कहलाता है। जैसे कि हमने देखा कार्यपालिका की नीतिनिर्माण और कानून बनाने में भी अहम भूमिका है। कार्यपालिका के अन्तर्गत हम राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद् तथा प्रधानमंत्री का अध्ययन करेंगे।

चित्र 13.4 : राष्ट्रपति भवन

तालिका 13.2 संघीय कार्यपालिका

क्र.	विषय–वस्तु	राष्ट्रपति	उपराष्ट्रपति	प्रधानमंत्री
1	न्यूनतम आयु	35 वर्ष	35 वर्ष	25 वर्ष
2	निर्वाचन एवं नियुक्ति की पद्धति	अप्रत्यक्ष प्रणाली आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत पद्धति– संसद और राज्यों की विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा।	अप्रत्यक्ष प्रणाली संसद	राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में बहुमत प्राप्त।
3	शैक्षिक योग्यता	निर्धारित नहीं।	निर्धारित नहीं।	निर्धारित नहीं।
4	अन्य योग्यता	लोकसभा सदस्य होने की योग्यता हो।	राज्यसभा का सदस्य होने की योग्यता हो।	लोकसभा में बहुमत का समर्थन।
5	शपथ	उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा।	राष्ट्रपति द्वारा।	राष्ट्रपति द्वारा।
6	कार्यकाल	पद ग्रहण की तिथि से – 5 वर्ष।	पद ग्रहण की तिथि से – 5 वर्ष।	लोकसभा की समाप्ति या लोकसभा का विश्वास होने तक।
7	पद से हटाने की प्रक्रिया	महाभियोग जिसे संसद के किसी भी सदन द्वारा लाया जा सकता है।	राज्य सभा के तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से जिससे लोकसभा सहमत हो।	लोकसभा में बहुमत न होने पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है।

नोट–शिक्षक उक्त तालिका द्वारा संबंधित विद्यार्थियों की जिज्ञासाओं पर उनके साथ चर्चा करें।

भारत के संविधान में औपचारिक रूप से संघ की कार्यपालिक शक्तियाँ राष्ट्रपति को दी गई हैं। औपचारिक रूप से राष्ट्रपति तीनों सेनाओं (जल, थल एवं वायु सेना) का प्रधान, प्रथम नागरिक एवं संवैधानिक अध्यक्ष होता है। सभी महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ उसी के द्वारा की जाती है। हमने ऊपर देखा कि राष्ट्रपति संसद के अधिवेशनों को बुलाता है। अन्तर्राष्ट्रीय संधियाँ, समझौते, युद्ध और आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है।

राष्ट्रपति वास्तव में प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बनी मंत्रिपरिषद् के माध्यम से इन शक्तियों का प्रयोग करता है। संविधान के अनुच्छेद 74 में यह स्पष्ट किया गया है कि "राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद् होगी जिसका प्रधान, प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति अपने कृत्यों का प्रयोग करने में ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा।" इसका आशय यह है कि सर्वोपरि होते हुए भी राष्ट्रपति से अपेक्षा है कि वह लोगों द्वारा सीधे न चुने जाने के कारण और संसद के प्रति जवाबदेय न होने के कारण अपने अधिकांश अधिकारों का अपने विवेक से प्रयोग नहीं करेगा और वह मंत्रिपरिषद् की सलाह से ही करेगा। इस प्रकार सरकार का वास्तविक प्रधान, प्रधानमंत्री होता है।

आरेख 13.2 राष्ट्रपति की शक्तियाँ

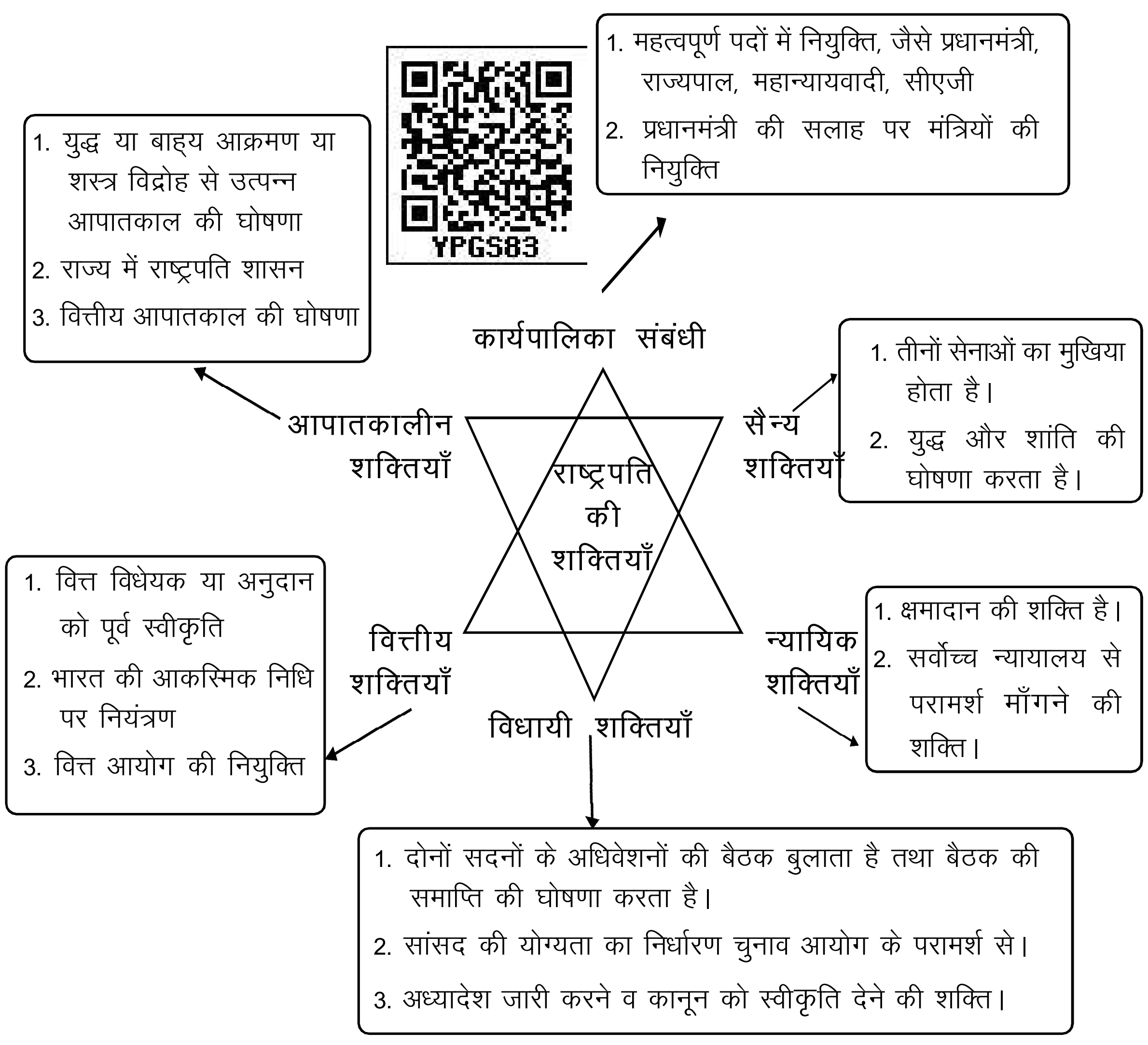

महान्यायवादी– भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी जो सरकार को कानूनी सलाह देता है।

सीएजी– नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो देश की समस्त वित्तीय प्रणाली पर नज़र रखता है तथा कार्यपालिका के वित्तीय आदान–प्रदान की उचित तथा अनुचित को तय करता है।

अध्यादेश– जब संसद का सत्र न चल रहा हो और कोई कानून बनाना आवश्यक हो तो मंत्रिपरिषद् की अनुशंसा पर राष्ट्रपति इसे जारी करता है। संसद के सत्र प्रारंभ होने के छः सप्ताह के अन्दर अगर यह अधिनियम नहीं बनता है तो यह समाप्त हो जाता है।

परन्तु कुछ महत्वपूर्ण कार्य राष्ट्रपति अपने विवेक से तय करता है। उदाहरण के लिए लोकसभा की बहुमत की अस्पष्टता की स्थिति में प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति स्वविवेक से नियुक्त कर सकता है। किसी विधेयक को जिसे संसद ने पारित कर दिया हो तो राष्ट्रपति उसे पुनर्विचार के लिए संसद को वापस कर सकता है। हालांकि यदि संसद उसे फिर से पारित कर देती है तो राष्ट्रपति को उसे अपनी स्वीकृति देना आवश्यक है। इसी तरह प्रधानमंत्री व मंत्रिमंडल की सिफारिशों को भी राष्ट्रपति पुनः विचार के लिए लौटा सकता है। अगर मंत्रिमंडल उसे फिर से पारित कर देता है तो राष्ट्रपति को उसे अपनी स्वीकृति देना आवश्यक है।

औपचारिक रूप से सर्वोच्च होने पर भी राष्ट्रपति को व्यवहार में बहुत कम शक्तियाँ क्यों दी गई होंगी?

प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद्

चित्र 13.5 : प्रधानमंत्री कार्यालय

राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद् होती है जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होता है। लोकसभा के बहुमत (आधे से अधिक सदस्यों का समर्थन) प्राप्त व्यक्ति को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करता है। प्रधानमंत्री अपने मंत्रिपरिषद् के सदस्यों को चुनता है जिन्हें राष्ट्रपति नियुक्त करता है। प्रधानमंत्री व्यावहारिक रूप में सर्वाधिक शक्तिशाली होता है। जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद् की अनुशंसा के अनुरूप ही अपने अधिकांश अधिकारों का प्रयोग करता है। यदि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद् की सलाह के बिना कार्य करे तो यह असंवैधानिक होगा। प्रधानमंत्री को लोकसभा में बहुमत प्राप्त होने के कारण विधायिका और कार्यपालिका दोनों पर नियंत्रण होता है। प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति व संसद के बीच सेतु का काम करता है। लोकसभा विघटित हो जाने पर भी मंत्रिपरिषद् समाप्त नहीं होती। अगली सरकार के गठन होने तक वह राष्ट्रपति को परामर्श देती रहती है।

प्रधानमंत्री की नियुक्ति व सरकार गठन के लिए लोकसभा में बहुमत प्राप्त होना चाहिए। बहुमत का अर्थ है लोकसभा की कुल सदस्यों में से कम–से–कम आधे से अधिक सदस्यों का समर्थन होना चाहिए। यदि वर्तमान लोकसभा में कुल 543 सांसद सीटें हैं तो उसमें बहुमत के लिए कम–से–कम 272 सांसदों का समर्थन अनिवार्य होगा।

लोकसभा के सदस्य कई राजनैतिक दलों या पार्टियों में बँटे होते हैं, जैसे काँग्रेस पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कम्यूनिस्ट पार्टी आदि। कई पार्टियाँ राज्य विशेष की भी होती हैं जैसे ए आई ए डी एम के, तृणमूल काँग्रेस, शिरोमणि अकाली दल, असम गण परिषद्। हरेक पार्टी की अपनी विचारधारा होती है और नीति संबंधित प्रस्ताव होते हैं जिनको आधार बनाकर वे चुनाव लड़ते हैं। चुनाव के बाद लोकसभा में विभिन्न पार्टियों के सदस्य चुनकर आते हैं। अगर इनमें से किसी एक पार्टी के 272 या अधिक सांसद हों तो उसके नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है लेकिन यदि किसी भी दल के पास बहुमत न हो तो एक से अधिक दल गठबंधन कर सकते हैं और मिलकर सरकार बना सकते हैं। गठबंधन दलों के नेता को, प्रधानमंत्री के रूप में राष्ट्रपति नियुक्त कर सकता है।

इनमें से कौन सा कथन सही है– कारण सहित चर्चा करें :–

क. हमेशा सबसे बड़े दल का नेता ही प्रधानमंत्री बनता है।

ख. हमेशा जिस व्यक्ति को लोकसभा के आधे–से–अधिक सदस्य समर्थन देंगे वही प्रधानमंत्री बन सकता है।

ग. हमेशा वही व्यक्ति प्रधानमंत्री बनेगा जिसे लोकसभा के सारे दल समर्थन करेंगे।

प्रधानमंत्री अपने या सहयोगी दलों के सदस्यों में से अपने मंत्रिपरिषद् के अन्य मंत्रियों का चयन करता है और उनकी योग्यता व अनुभव के अनुरूप उन्हें विभिन्न विभाग सौंपता है। मंत्रिमंडल को प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कार्य करना होता है। प्रधानमंत्री सरकार के सभी महत्वपूर्ण निर्णयों में सम्मिलित होता है और सरकार की नीतियों के बारे में निर्णय लेता है। हम यह कह सकते हैं कि केन्द्रीय सरकार के संचालन की धुरी प्रधानमंत्री होता है।

मंत्रिपरिषद् लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है अर्थात् जो सरकार लोकसभा में विश्वास खो देती है उसे त्यागपत्र देना पड़ता है। सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना यह है कि सारे मंत्री एक–दूसरे के काम का समर्थन करेंगे और संसद में या सार्वजनिक रूप में एक–दूसरे की आलोचना नहीं करेंगे। यह माना जाता है कि सारे मंत्री एक–दूसरे तथा प्रधानमंत्री की सहमति से कार्य करते हैं। यदि किसी एक मंत्री के विरुद्ध लोकसभा अविश्वास व्यक्त करे तो मंत्रिपरिषद् को इस्तीफा देना होता है।

मंत्रिमंडल के सदस्य तो राजनेता होते हैं और वे बहुत सीमित समय के लिए मंत्री होते हैं। इनका मुख्य काम नीतिगत निर्णय लेना और विभागों और लोगों के बीच कड़ी के रूप में काम करना होता है। मंत्रिमंडल को राजनैतिक कार्यपालिका कहते हैं। इसके अलावा सरकारी नौकरों, पुलिस आदि का एक बड़ा ढाँचा होता है जिसे प्रशासनिक कार्यपालिका कहते हैं। ये लंबे समय के लिए नियुक्त होते हैं और संबंधित विभाग के कामकाज में निपुण होते हैं। इनकी मदद से सरकार अपनी कार्यपालिक जिम्मेदारियाँ निभाती है।

आरेख 13.3 : प्रधानमंत्री के अधिकार व कार्य

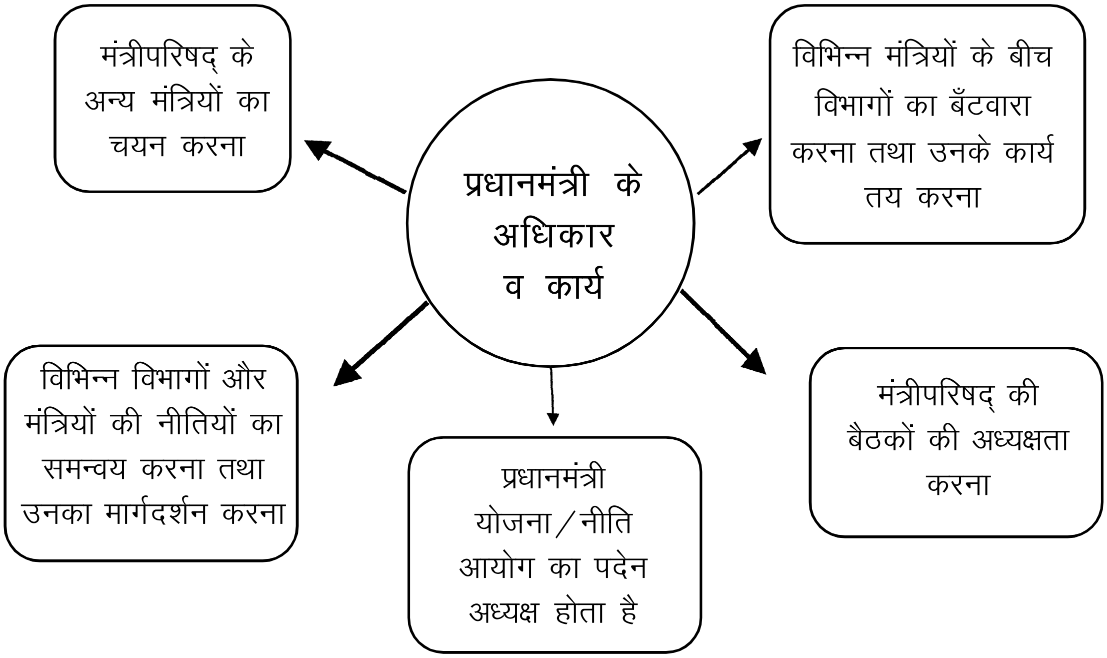

YPIT76

13.1.3 न्यायपालिका

न्यायपालिका का प्रमुख कार्य नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना, यह देखना कि विध ाायिका द्वारा कोई कानून संविधान के विरुद्ध तो नहीं बनाया गया है और कार्यपालिका द्वारा किए जाने वाले कार्य की कानूनी वैधता की जाँच करना भी है। हमारे संविधान में एक विस्तृत और स्तरीकृत न्यायालय व्यवस्था का प्रावधान है। ज़िले स्तर से लेकर पूरे देश के स्तर तक न्यायालय स्थापित है। हर राज्य में एक उच्च न्यायालय होता है। देश में सर्वोच्च न्यायालय है जो भारतीय न्याय व्यवस्था का शिखर है।

हर समाज में व्यक्तियों के बीच, समूहों के बीच और व्यक्ति तथा सरकार के बीच विवाद उठते हैं। इन सभी विवादों को 'कानून के शासन के सिद्धांत' के आधार पर एक स्वतंत्र संस्था द्वारा हल किया जाना ज़रूरी है। 'कानून के शासन' का भाव यह है कि धनी और गरीब, स्त्री और पुरुष तथा अगड़े और पिछड़े सभी लोगों पर एक समान कानून लागू हो। न्यायपालिका की प्रमुख भूमिका यह है कि वह 'कानून के शासन' की रक्षा और कानून की सर्वोच्चता को सुनिश्चित करे। न्यायपालिका व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करती है, विवादों को कानून के अनुसार हल करती है और यह सुनिश्चित करती है कि लोकतंत्र की जगह किसी एक व्यक्ति या समूह की तानाशाही न ले ले। इसके लिए ज़रूरी है कि न्यायपालिका किसी भी राजनैतिक दबाव से मुक्त हो। यह न्यायाधीशों की नियुक्ति, कार्यकाल आदि संबंधित प्रावधानों में देखा जा सकता है।

न्यायाधीशों की नियुक्ति : सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद् की सलाह के अनुरूप उच्चतम व उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को नियुक्त करता है। पिछले कई दशकों से यह परम्परा बनी है कि मुख्य न्यायाधीश की सलाह के अनुरूप ही राष्ट्रपति न्यायाधीशों की नियुक्ति करे। मुख्य न्यायाधीश की राय केवल उसकी व्यक्तिगत राय न हो और वह सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों के विचारों को भी प्रतिबिंबित करे इसके लिए 'कालेजियम' की व्यवस्था की गई है। इसके अनुसार सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अन्य चार वरिष्ठतम न्यायाधीशों की सलाह से कुछ नाम प्रस्तावित करेगा और इसी में से राष्ट्रपति नियुक्तियाँ करेगा। वर्तमान में इस व्यवस्था के गुण–दोषों की विवेचना की जा रही है और इसमें सुधार लाने के प्रयास चल रहे हैं।

न्यायाधीशों का कार्यकाल निश्चित होता है। वे सेवानिवृत होने तक पद पर बने रहते हैं। केवल अपवाद स्वरूप विशेष स्थितियों में ही न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है। न उनकी नियुक्ति में, न ही उनके वेतन निर्धारण में विधायिका की कोई भूमिका है। इस कारण न्यायाधीश दलगत राजनीति व अन्य दबावों से मुक्त होकर अपना काम कर सकते हैं।

भारत में न्यायपालिका की संरचना पिरामिड की तरह है जिसमें सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय, फिर उच्च न्यायालय तथा सबसे नीचे ज़िला और अधीनस्थ न्यायालय है (आरेख 13.4 देखें)। नीचे के न्यायालय अपने ऊपर के न्यायालयों की देखरेख में काम करते हैं।

चित्र 13.6 : सर्वोच्च न्यायालय

आरेख 13.4 भारत में न्यायालय व्यवस्था

भारत का सर्वोच्च न्यायालय

- इसके फैसले सभी अदालतों को मानने होते हैं।
- यह उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का तबादला कर सकता है।
- यह किसी अदालत का मुकदमा अपने पास मँगवा सकता है।
- यह किसी एक उच्च न्यायालय में चल रहे मुकदमे को दूसरे उच्च न्यायालय में भिजवा सकता है।

उच्च न्यायालय

- निचली अदालतों के फैसले पर की गई अपील की सुनवाई कर सकता है।
- मौलिक अधिकारों को बहाल करने के लिए रिट जारी कर सकता है।
- राज्य के क्षेत्राधिकार में आने वाले मुकदमों का निपटारा कर सकता है।

ज़िला अदालत

- ज़िले में दायर मुकदमों की सुनवाई करती है।
- निचली अदालतों के फैसले पर की गई अपील की सुनवाई करती है।
- गंभीर किस्म के आपराधिक मामलों पर फैसला देती है।

अधीनस्थ अदालत

- फौजदारी और दीवानी के मुकदमों पर विचार करती है।

भारत का सर्वोच्च न्यायालय

हमारे संविधान में सर्वोच्च न्यायालय का विशेष स्थान है। आरेख 13.4 में आप देख सकते हैं कि वह न्यायपालिका की सर्वोच्च संस्था होने के नाते किसी भी न्यायालय को निर्देश दे सकता है और उनके निर्णयों को पलट सकता है। उसके निर्णयों का दर्जा कानून के समकक्ष होता है।

सर्वोच्च न्यायालय के कुछ प्रमुख काम इस प्रकार हैं :

1. दीवानी, फौजदारी तथा संवैधानिक सवालों से जुड़े अधीनस्थ न्यायालयों के मुकदमों की अपील पर सुनवाई करना।
2. संघ और राज्यों के बीच तथा विभिन्न राज्यों के आपसी विवादों का निपटारा करना।
3. जनहित के मामलों तथा कानून के मसले पर राष्ट्रपति को सलाह देना।
4. व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए याचिका सुनकर आदेश जारी करना।

इस प्रकार हम देख सकते हैं कि नागरिकों के लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा करने में, कानून की सर्वोच्चता बनाए रखने में तथा राज्य के क्रियाकलापों को संविधान के मर्यादाओं के अन्दर बनाए रखने में संपूर्ण न्यायतंत्र और विशेषकर सर्वोच्च न्यायालय की अतिमहत्वपूर्ण भूमिका है।

न्यायपालिका कई स्तरों में होने से क्या फायदे हो सकते हैं?

विधायिका और कार्यपालिका के प्रभाव से न्यायपालिका को स्वतंत्र रखना क्यों आवश्यक है?

न्यायाधीशों की नियुक्ति में मंत्रिपरिषद् तथा विधायिका की भूमिका को किस तरह सीमित रखा गया है?

न्यायाधीशों की नियुक्ति में कोई एक व्यक्ति हावी नहीं हो इसके लिए क्या परम्पराएँ बनाई गई हैं?

नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए हम किन–किन न्यायालयों में जा सकते हैं?

पोलावरम बाँध परियोजना में छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आंध्रप्रदेश के बीच पानी के उपयोग को लेकर विवाद पर निर्णय कौन दे सकता है?

शिक्षा से संबंधित कानून को लेकर केन्द्र सरकार और किसी राज्य सरकार के बीच विवाद है – इसकी सुनवाई किस न्यायालय में होगी?

निर्वाचन आयोग

हमारी लोकतांत्रिक प्रणाली में निर्वाचन या चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। सांसदों व विधायकों के अलावा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है। इनके निर्वाचन की व्यवस्था निर्वाचन आयोग करता है जिसका प्रावधान संविधान में किया गया है। निर्वाचन आयोग में मुख्य निर्वाचन आयुक्त सहित तीन सदस्य होते हैं। इनकी नियुक्ति प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। निर्वाचन आयोग निष्पक्ष चुनाव कराए इसके लिए उसे विशेष अधिकार दिए गए हैं।

प्रत्येक राज्य का भी एक निर्वाचन आयोग होता है। राज्य निर्वाचन आयोग पंचायतों और नगरपालिका आदि स्थानीय स्वशासी संस्थाओं का निर्वाचन करवाता है। उदाहरण के लिए पंचायतीराज चुनाव।

आरेख 13.5 : निर्वाचन आयोग

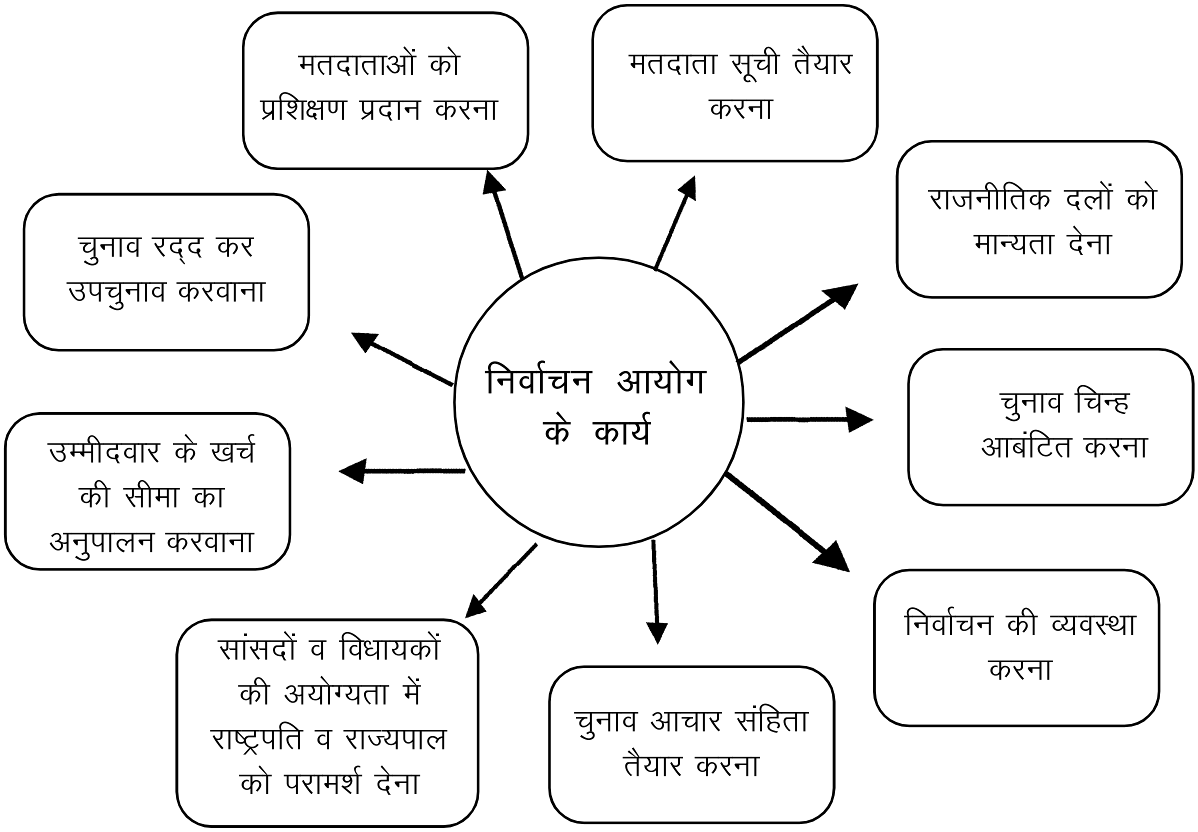

13.2 संविधान और सामाजिक बदलाव के अवसर

भारतीय संविधान के विशेषज्ञ ग्रानविल आस्टिन का कहना है कि भारतीय संविधान में तीन प्रमुख तत्व हैं जो आपस में सहजता के साथ गुँथे हुए हैं– ये हैं राष्ट्रीय एकता, लोकतंत्र और सामाजिक परिवर्तन। भारत में राष्ट्रीय एकता की कल्पना लोकतंत्र व सामाजिक परिवर्तन के बगैर नहीं की जा सकती है। इसी प्रकार सामाजिक परिवर्तन एकता व लोकतंत्र के बिना नहीं हो सकता है।

संविधान को संविधान सभा में प्रस्तुत करते हुए डॉ. भीमराव अंबेडकर ने इस संविधान के समक्ष दो खतरों की ओर इशारा किया। पहला सामाजिक असमानता और दूसरा जातिवाद के कारण समाज में भाईचारे का अभाव। *''भारतीय समाज स्तरीकृत और असमानता के सिद्धांतों पर आधारित है जहाँ कुछ लोगों के पास असीम धन है और अधिकांश अत्यन्त गरीबी में रहते हैं। 26 जनवरी 1950 को हम विरोधाभासों से भरे जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं। राजनीति के मामले में हमारे यहाँ समानता होगी पर आर्थिक और सामाजिक जीवन असमानताओं से भरा होगा। ...हम अपने सामाजिक और आर्थिक जीवन में कब तक समानता को नकारते रहेंगे? अगर यह नकारना ज़्यादा लंबे समय तक चला तो हम अपने राजनैतिक लोकतंत्र को ही संकट में डालेंगे। हमें इस विरोधाभास को जल्द–से–जल्द समाप्त करना होगा वरना जो लोग इस असमानता से त्रस्त हैं वे इस राजनैतिक लोकतंत्र का ढाँचा, जिसे इस सभा ने इतनी मेहनत से बनाया है, को ध्वस्त कर देंगे। ...भारत अभी एक राष्ट्र नहीं है – जो लोग हज़ारों जातियों में बँटे हैं वे एक राष्ट्र कैसे हो सकते हैं?... जातियाँ राष्ट्र विरोधी हैं क्योंकि वे विभिन्न जातियों के बीच आपसी ईर्ष्या और द्वेष पैदा करती हैं। अगर हमें वास्तव में एक राष्ट्र बनाना है तो इस समस्या से निपटना होगा।* (संविधान सभा कार्यविवरण, 24, नवंबर 1949) डॉ. अंबेडकर का कहना था कि जब तक हम समाज में स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे को स्थापित नहीं करेंगे तब तक राजनैतिक लोकतंत्र अस्थिर बना रहेगा।

हमारे संविधान निर्माता इस बात से सहमत थे कि संवैधानिक तरीके से समाज में मूलभूत परिवर्तन लाना है और संविधान ऐसा बने जो इस बदलाव को संभव बनाए और उसकी दिशा निर्धारित करे। इस बात को लेकर भी सहमति थी कि अगर इस संविधान का कोई प्रावधान सामाजिक बदलाव के आड़े आता है तो संविधान में उचित प्रक्रिया से संशोधन किया जाए।

अमेरिका जैसे देशों के संविधान वैयक्तिक स्वतंत्रता और लोकतंत्र को मज़बूत करने पर ज़ोर देते हैं। इसके विपरीत सोवियत रूस या चीन जैसे कुछ और देश के संविधान सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए राज्य को मज़बूत करने पर ज़ोर देते हैं। भारतीय संविधान निर्माताओं का प्रयास था कि भारत में लोकतंत्र और व्यक्तियों के निजी अधिकारों को सुदृढ़ करते हुए राज्य को सामाजिक परिवर्तन लाने के लिए पर्याप्त रूप से सशक्त बनाए। संविधान निर्माताओं की कल्पना में भारतीय राज्य केवल कानून व्यवस्था बनाए रखने का काम नहीं करेगा मगर सदियों से चले आ रहे भेदभावों व असमानताओं को मिटाने तथा 200 वर्ष की औपनिवेशी शासन से पिछड़ी अर्थव्यवस्था को सुधारने का ज़िम्मा उठाएगा। इस उद्देश्य को सुनिश्चित करने के लिए संविधान में मौलिक अधिकार की विस्तृत सूची अंकित है और साथ ही उसमें एक अनूठा अध्याय जोड़ा गया जिसे 'राज्य के मार्गदर्शक तत्व' कहते हैं। संविधान के अनुच्छेद 37 में कहा गया है कि ये ''तत्व देश के शासन में मूलभूत हैं और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा।'' इन तत्वों में से कुछ प्रमुख तत्व निम्नलिखित हैं : –

राज्य लोककल्याण के लिए व्यवस्था बनाएगा – सभी क्षेत्रों में सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने तथा आय, प्रतिष्ठा और सुविधाओं व अवसरों की असमानता समाप्त करने का प्रयास करेगा।

महिलाओं व पुरूषों के बीच समानता लाना – समाज के भौतिक और उत्पादक संसाधनों का न्यायसंगत बँटवारा, कारखानों में उचित काम के हालात और वेतन, बच्चों के हितों की रक्षा तथा सबके लिए 14 साल की आयु तक निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था, अनुसूचित जाति, जनजाति व अन्य दुर्बल वर्गों के शैक्षणिक और आर्थिक हितों की अभिवृद्धि आदि।

सामाजिक बदलाव के लिए संविधान में संशोधन

संविधान बनाते समय यह स्पष्ट किया गया कि नागरिकों के मौलिक अधिकार असीम नहीं होंगे और राष्ट्र की व्यापक ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए राज्य मौलिक अधिकारों को नियंत्रित कर सकता है लेकिन संविधान के बनते ही समाज के वे लोग जो सामाजिक बदलाव के विरुद्ध थे उन्होंने न्यायालयों की शरण ली। कुछ लोगों को अनूसूचित जातियों के लिए किए गए विशेष कानूनों से तो अन्य को ज़मींदारी प्रथा उन्मूलन से परेशानी थी । इस परिस्थिति को देखते हुए संविधान में पहला संशोधन 1951 में ही बहुत तीखे विवादों के बीच किया गया।

उस समय अनेक प्रांतों में शैक्षणिक संस्थानों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई थी जो एक दृष्टि से समता के अधिकार के विरुद्ध थे मगर ऐसी जातियों के लिए अवसर की समानता उपलब्ध कराने के लिए आवश्यक थे।

इसी कारण प्रथम संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार वाले अध्याय के अनुच्छेदों में इस तरह के प्रावधान सम्मिलित किए गए ''इस अनुच्छेद ...की कोई बात राज्य को सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी।''

1947 से ही देश की सरकारों ने ज़मींदारी और बेगारी प्रथा उन्मूलन के लिए कानून बनाए और ज़मींदारों

की ज़मीनों को भूमिहीनों में बाँटने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी। किसान इसके लिए ज़बरदस्त दबाव डाल रहे थे और भारत के कई भागों में उनका सशस्त्र विद्रोह शुरू हो रहा था। अतः भूमि सुधार को और नहीं टाला जा सकता था लेकिन बड़े भूस्वामी न्यायालयों में जाकर इन कानूनों पर रोक लगाने में सफल हुए।

अतः प्रथम संशोधन के द्वारा यह प्रावधान रखा गया कि जिन कानूनों को राष्ट्रपति द्वारा संविधान की नवीं अनुसूची में रखा जाएगा उन्हें किसी न्यायालय द्वारा खारिज नहीं किया जा सकेगा। उस समय के अधिकांश भूमि सुधार कानूनों को इस अनुसूची में शामिल किया गया और न्यायालयों ने इन्हें स्वीकार किया।

ज़मींदारी प्रथा तो समाप्त की गई मगर बड़े भूस्वामियों से ज़मीन लेकर भूमिहीन कृषकों व मज़दूरों को वितरित करने में लगातार कानूनी व प्रशासनिक अड़चनें बनी रहीं जिसके चलते संविधान में कई और संशोधन किए गए। भूस्वामियों का दावा था कि संविधान के बुनियादी अधिकारों में संपत्ति का अधिकार स्पष्ट रूप से सम्मिलित है अतः किसी की संपत्ति को छीनना व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन है। इन दावों को देखते हुए 1976 में एक महत्वपूर्ण संशोधन (44वें संविधान संशोधन) के माध्यम से मौलिक अधिकारों की सूची से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया।

शिक्षा का अधिकार : जैसे कि हमने पहले देखा था, संविधान के नीति निदेशक तत्वों में 14 वर्ष की आयु तक सभी बच्चों को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराना शामिल था लेकिन स्वतंत्रता के 70 साल होने पर भी हम सभी बच्चों को निशुल्क तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध नहीं करा पाए। 1993 में एक महत्वपूर्ण फैसले के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय ने 14 वर्ष की आयु तक निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को एक मौलिक अधिकार माना। न्यायालय का कहना था कि जीने का मौलिक अधिकार सार्थक तभी होगा जब लोगों को उचित शिक्षा मिले। इस फैसले को देखते हुए संसद ने 2002 में 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से 6 से 14 वर्ष की आयु तक सभी बच्चों को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकारों की सूची में शामिल किया। अब देश के प्रत्येक बच्चे को 6 से 14 वर्ष के बीच स्कूल में नियमित रूप से शिक्षित करना राज्य का दायित्व बन गया।

YPQN9Q

इन उदाहरणों से स्पष्ट होगा कि किस तरह हमारे संविधान में समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रावधान किया गया है।

अगर समाज में आर्थिक असमानता नहीं मिटायी गई तो राष्ट्रीय एकता पर उसका किस तरह का प्रभाव पड़ेगा?

पिछले 60 वर्षों में हमारे देश में सामाजिक असमानता किस हद तक घटी है या बढ़ी है? इसका हमारे लोकतंत्र पर क्या असर होगा?

आपके क्षेत्र में प्रचलित गौंटिया प्रथा के बारे में पता करें। इसे किस तरह समाप्त किया गया? क्या इसके कुछ अंश आज भी मौजूद हैं?

संपत्ति के अधिकार और सरकार द्वारा भूमि अर्जन का मामला फिर से चर्चा में रहा है। इससे संबंधित समाचारों को इकट्ठा करें और कक्षा में उनका सारांश प्रस्तुत कर चर्चा करें। 1950–1980 में जो भूमि अर्जन हो रहा था और आजकल जो भूमि अर्जन हो रहा है उनमें आपको क्या समानताएँ व अन्तर दिखाई देते हैं?

शिक्षा के अधिकार को नीति निदेशक तत्व की जगह मौलिक अधिकारों में सम्मिलित करने से क्या अन्तर पड़ता? यह सामाजिक परिवर्तन को किस तरह मदद करता?

13.3 संविधान का विकसित होता हुआ स्वरूप

भारत का संविधान लगातार नया स्वरूप ले रहा है। इससे जुड़े कुछ उदाहरण हमने अब तक देखे जैसे– शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा मिला। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। संविधान में बदलाव को संविधान संशोधन कहते हैं। संविधान में संशोधन संसद के द्वारा किए जाते हैं। संविधान के विकसित होते हुए स्वरूप को हम निम्नांकित उदाहरणों के माध्यम से और स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं –

1976 में संविधान में कई बदलाव किए गए। प्रस्तावना में 'समाजवादी' और पंथ 'निरपेक्ष' शब्द जोड़े गए। समाजवादी शब्द को जोड़कर यह स्पष्ट किया गया कि सरकार भारत के लोगों की समानता के लिए प्रयास करती रहेगी। पंथ निरपेक्षता शब्द को जोड़कर स्पष्ट कर दिया गया कि राज्य धर्म के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव न करते हुए प्रत्येक व्यक्ति के साथ एक नागरिक के रूप में व्यवहार करेगा। हालाँकि पहले भी शासन में इन मूल्यों को शामिल किया गया था, 1976 के संशोधन से इसे संविधान में स्थान दे दिया गया। इसी प्रकार संविधान में राज्य द्वारा निशुल्क कानूनी सहायता की व्यवस्था भी की गई।

समाज के आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग जो न्यायालय तक नहीं जा पाते थे, वे आज इसी बदलाव के कारण न्याय के हकदार हो गए हैं क्योंकि उन्हें निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध करवाने की ज़िम्मेदारी अब सरकार ने ले ली है। इसी प्रकार मज़दूरों को शोषण मुक्त करने और सामाजिक न्याय प्रदान करने के लिए कारखानों के प्रबंधन में मज़दूरों की भागीदारी सुनिश्चित करने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम रहा है।

इसी प्रकार 1992 में संविधान में एक और बदलाव किया गया। अब तक संविधान में शक्तियों का वितरण केन्द्र और राज्यों के ही स्तरों पर था। 73वें व 74वें संशोधन द्वारा शक्तियों के वितरण के तीसरे स्तर की व्यवस्था की गई। ग्रामीण स्थानीय शासन के लिए पंचायतीराज व्यवस्था और शहरी स्थानीय शासन के लिए शहरी निकायों की व्यवस्था की गई। इनके बारे में हम विस्तार से पिछली कक्षाओं में पढ़कर आए हैं। इस परिवर्तन के परिणामस्वरूप अब प्रत्येक गाँव और शहर में लोगों की भागीदारी शासन में बढ़ गई है। समाज के विभिन्न वर्गों – अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिलाओं को इन संस्थाओं में आरक्षण के माध्यम से आगे आने का अवसर भी इस बदलाव से बढ़ा है।

अतः यह कहा जा सकता है कि भारत के संविधान का स्वरूप विकसित हो रहा है। किसी भी समाज की दशा और दिशा का निर्धारक उसका संविधान होता है। विशेष रूप से लोकतांत्रिक समाजों में संविधान की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। जैसा कि हमने पढ़ा कि संविधान के बनने के बाद से आज तक संविधान में कई बदलाव हुए हैं। हमने पिछले अध्याय में प्रस्तावना में पढ़ा था कि हमारे संविधान ने किस प्रकार के समाज की रचना का उद्देश्य रखा है। संविधान में हुए बदलाव इन्हीं उद्देश्यों की तरफ बढ़ने के लिए किए गए हैं। साथ ही समाज की बदलती ज़रूरतों के लिए भी संविधान में बदलाव की ज़रूरत पड़ती है, जैसे– 1989 में मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई लेकिन न्यायपूर्ण, समतायुक्त समाज की रचना के लिए सभी नागरिकों को एक सक्रिय नागरिक के रूप में अपना योगदान देना होगा।

अभ्यास

YPSP8T

1.लोकतंत्र में शक्ति का विकेन्द्रीकरण और शक्ति विभाजन का क्या महत्व है? भारत में शक्ति का विकेन्द्रीकरण कितने स्तरों पर किया गया है?

2.संसद का न्यायिक काम क्या है? इस काम को उच्चतम न्यायालय को न देकर संसद को क्यों दिया गया होगा?

3. आलोक मानता है कि किसी देश को कारगर सरकार की ज़रूरत होती है जो जनता की भलाई करे। अतः यदि हम सीधे–सीधे अपना प्रधानमंत्री और मंत्रिगण चुन लें और शासन का काम उन पर छोड़ दें, तो हमें विधायिका की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्या आप इससे सहमत हैं? अपने उत्तर का कारण बताएँ।

4. द्वि–सदनीय प्रणाली के गुण–दोषों के संदर्भ में इन तर्कों को पढ़िए और इनसे अपनी सहमति–असहमति के कारण बताइए।

   क. द्वि–सदनीय प्रणाली से कोई उद्देश्य नहीं सधता।

   ख. राज्यसभा में विशेषज्ञों का मनोनयन होना चाहिए।

   ग. यदि कोई देश संघीय नहीं है तो फिर दूसरे सदन की ज़रूरत नहीं रह जाती।

5. लोकसभा कार्यपालिका पर कारगर ढंग से नियंत्रण रखने की नहीं बल्कि जनभावनाओं और जनता की अपेक्षाओं की अभिव्यक्ति का मंच है। क्या आप इससे सहमत हैं? कारण बताएँ।

6. नीचे संसद को ज़्यादा कारगर बनाने के कुछ प्रस्ताव लिखे जा रहे हैं। इनमें से प्रत्येक के साथ अपनी सहमति या असहमति का उल्लेख करें। यह भी बताएँ कि इन सुझावों को मानने के क्या प्रभाव होंगे?

   क. संसद को अपेक्षाकृत ज़्यादा समय तक काम करना चाहिए।

   ख. संसद के सदस्यों की सदन में मौजूदगी अनिवार्य कर दी जानी चाहिए।

   ग. अध्यक्ष को यह अधिकार होना चाहिए कि सदन की कार्यवाही में बाधा पैदा करने पर सदस्य को दंडित कर सके।

7. अगर मंत्री ही अधिकांश महत्वपूर्ण विधेयक प्रस्तुत करते हैं और बहुसंख्यक दल आमतौर पर सरकारी विधेयक को पारित कर देता है, तो फिर कानून बनाने की प्रक्रिया में संसद की भूमिका क्या है?

8. भारतीय कार्यपालिका और संसद के बीच का क्या रिश्ता है– इनमें से चुनें :

   क. दोनों एक–दूसरे से बिल्कुल स्वतंत्र हैं।

   ख. कार्यपालिका संसद द्वारा निर्वाचित है।

   ग. संसद कार्यपालिका के रूप में काम करती है।

   घ. कार्यपालिका संसद के बहुमत के समर्थन पर निर्भर है।

9. निम्नलिखित संवाद पढ़ें और बताएँ आप किस तर्क से सहमत हैं और क्यों?

   अमित : संविधान के प्रावधानों को देखने से लगता है कि राष्ट्रपति का काम सिर्फ ठप्पा मारना है।

   रमा : राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। इस कारण उसे प्रधानमंत्री को हटाने का भी अधिकार होना चाहिए।

   राजेश :हमें राष्ट्रपति की ज़रूरत नहीं। चुनाव के बाद, संसद बैठक बुलाकर एक नेता चुन सकती है जो प्रधानमंत्री बने।

10. दो ऐसी परिस्थितियों के बारे में पता करें जब भारत के राष्ट्रपति ने संसद के किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाया हो। उनके बारे में पता करें कि राष्ट्रपति ने क्यों लौटाया तथा अन्त में क्या हुआ?
11. भारतीय लोकतंत्र में प्रधानमंत्री एक धुरी के रूप में काम करता है। वह मनमानी नहीं करे और तानाशाह न बने इसको किन–किन तरीकों से सुनिश्चित किया गया है?
12. प्रशासनिक कार्यपालिका किसके प्रति जवाबदेय है – राजनैतिक कार्यपालिका के प्रति या संसद के प्रति?
13. न्यायपालिका की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के विभिन्न तरीके कौन–कौन से हैं? निम्नलिखित में जो बेमेल हो उसे छाँटें।
    - क. सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से सलाह ली जाती है।
    - ख. न्यायाधीशों को अमूमन अवकाश प्राप्ति की आयु से पहले नहीं हटाया जाता।
    - ग. उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का तबादला दूसरे उच्च न्यायालय में नहीं किया जा सकता।
    - घ. न्यायाधीशों की नियुक्ति में संसद की दखल नहीं है।
14. क्या न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अर्थ यह है कि न्यायपालिका किसी के प्रति जवाबदेह नहीं है? अपना उत्तर अधिकतम 100 शब्दों में लिखें।
15. न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए संविधान के विभिन्न प्रावधान कौन–कौन से हैं?
16. सामाजिक बदलाव लाने के लिए संविधान में भारतीय राज्य को बहुत–सी शक्तियाँ दी गई हैं। क्या आपको लगता है कि इन शक्तियों का उचित उपयोग किया गया है? क्या यह वंचित और गरीब तबकों के हित में किया गया है या प्रभावशाली तबकों के पक्ष में किया गया है?

परियोजना कार्य:–

1. किसी शासकीय संस्था (हॉस्पीटल, डाकघर, आंगनवाड़ी...) में जाकर वहाँ कार्य करने वाले लोगों का पद, कार्य और चुनौतियों का पता लगाइए। उनके कार्य को बेहतर करने के लिए सुझाव दीजिए। चार्ट के माध्यम से अपने कार्य को कक्षा में प्रस्तुत कीजिए।
2. आपके क्षेत्र में स्थित स्थानीय संस्था (ग्रामपंचायत, नगरपालिका, नगरपरिषद्, नगरनिगम...) में जाकर पता कीजिए कि उसमें महिलाओं, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के कितने–कितने लोग हैं। उनके कार्यों के बारे में पता कीजिए। अपने कार्य को चार्ट के माध्यम से कक्षा में प्रस्तुत कीजिए।
3. उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित निर्णयों की खबरों को अखबारों में से एकत्रित कीजिए। इन्हें एक चार्ट पर लगाकर इन पर चर्चा कीजिए।